न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 49/2012

1 मुक्तिलाल पुत्र गोपाल।
2 गेन्दी बेवा गोपाल।
3 सत्यनारायण पुत्र देबू।
4 महावीर पुत्र बेदू समस्त जाति नाई निवासीगण मंडा मदनी तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 मोहनलाल पुत्र उमदा।
2 बजरंगलाल पुत्र उमदा।
3 तोफान पुत्र उमदा।
4 मदनलाल पुत्र उमदा।
5 प्रेमचन्द पुत्र उमदा।
6 लिछमी बेवा उमदा समस्त जाति मीणा निवासीगण ग्राम मण्डा मदनी तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
7 शंकरलाल पुत्र गोपाल।
8 कैलाश पुत्र गोपाल।
9 लालचन्द पुत्र गोपाल समस्त जाति नाई निवासीगण मण्डा मदनी तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
10 शेखावाटी ग्रामीण बैंक शाखा मण्डा मदनी तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
11 राज्य सरकार जरिये तहसीलदार दांतारामगढ़ जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील विरूद्व निर्णय एंव डिकी सहायक कलेक्टर
प्रथम सीकर मुकदमा नम्बर 266/2009 उनवानी
मोहनलाल वगैरह बनाम सत्यनारायण वगैरह दिनांक
30.09.2011

उपस्थिति :

1. श्री पोकरमल, अधिवक्ता अपीलांट

–निर्णय–

दिनांकः– 23.09.21

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर प्रथम सीकर द्वारा मुकदमा नम्बर 266/2009 में पारित निर्णय दिनांक 30.09.2011 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में प्रस्तुत होने के पश्चात अपीलांट प्रार्थीगण ने अधिवक्ता सोहनलाल को अपना अधिवक्ता नियुक्त किया और अभिभाषक सोहनलाल ने प्रार्थीगण को कहा कि अब तुम्हे हर तारीख पेश पर आने की जरूरत नही है जब कभी भी जरूरत होगी तो मैं तुम्हे पत्र देकर बुलवा लूंगा। अभिभाषक के यह कहने पर प्रार्थीगण निश्चित होकर रह गये और वकील के समाचार का इंतजार करते रहे। लम्बें समय तक जब वकील ने कोई समाचार नही दिया तो प्रार्थी ने दिनांक 10.01.2012 को वकील के पास स्वयं आया तो वकील ने बताया कि मेरे पिताजी अधिवक्ता रामेश्वरलाल चौधरी केंसर की बिमारी हो जाने के कारण वे लम्बे समय तक बिमार रहे और मै उनकी देखभाल करता रहा और तारिख पेशियां को संभाल नही सका और अन्त में लम्बी बिमारी के बाद उनका का देहान्त भी हो गया जिसके कारण भी में अदालत में नही आ सका

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

और तुम्हारे मुकदमें को नहीं संभाल सका मेरे पीछे से ही तुम्हारे मुकदमें में फैसला हो गया है मै तुम्हे सूचना भी नही दे सका मरे से यह गलती हो गई है। अधिवक्ता सोहनलाल द्वारा यह बताने पर मैने न्यायालय में पत्रावली की जानकारी की और नकल के लिये आवेदन पेश किया जिसकी नकल मुझे दिनांक 12.01.2012 को मिली इसके पश्चात मैने अधिवक्तागण से सम्पर्क किया और इसके पश्चात यह अपील पेश की जा रही है।

बहस अपीलांट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय मे अपीलांट प्रतिवादी संख्या 3 था विचारण नयायालय में अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री सोहनलाल को नियुक्त किया था। विचारण न्यायालय में प्रतिवादी अपीलांट को साक्ष्य प्रस्तुत करने का एक भी अवसर नही दिया गया है। दिनांक 24.08.2011 तक पत्रावली वादी के साक्ष्य में चल रही थी। दिनांक 21.09.2011 को सीधे ही बहस सुनकर विचाराधीन आदेश पारित किया गया है स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रिया की पालना किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है। अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा विलम्ब से जानकारी दिये जाने पर जानकारी से अन्दर मियाद अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत है। अपील स्वीकार की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय मे अपीलांट प्रतिवादी संख्या 3 था विचारण नयायालय में अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री सोहनलाल को नियुक्त किया था। विचारण न्यायालय में प्रतिवादी अपीलांट को साक्ष्य प्रस्तुत करने का एक भी अवसर नही दिया गया है। दिनांक 24.08.2011 तक पत्रावली वादी के साक्ष्य में चल रही थी। दिनांक 21.09.2011 को सीधे ही बहस सुनकर विचाराधीन आदेश पारित किया गया है स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रिया की पालना किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही माना जा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

सकता है। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुये अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण में गुणावगुण पर पुन विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 29.10.2021 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 23.09.21 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर